POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.10.2025

1. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा एटीएम पर टेप लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकालने, खरीदारी करने व डराने के लिए अवैध चाकू रखने वाले 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 67 एटीएम कार्ड, 01 मोबाइल फोन, 2840 रुपये नगद, 1 पैन कार्ड, 03 बिल, 15 कपड़े व 04 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.10.2025** को **थाना फेस-3 पुलिस** द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए एटीएम पर टेप लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकालने, खरीदारी करने व डराने के लिए अवैध चाकू रखने वाले 04 वांछित अभियुक्त 1.पंकज कुमार पुत्र उमेश सिंह 2.धर्मेन्द्र पुत्र अर्जुन सिंह 3.नवलेश सिंह पुत्र उचित सिंह 4.गोपाल पुत्र अनुग्रह सिंह को सेक्टर-68 खाली मैदान के अन्दर से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 67 एटीएम कार्ड, 01 मोबाइल फोन, 2840 रुपये नगद, 1 पैन कार्ड, 03 बिल, 15 कपडे व 04 अवैध चाकू बरामद हुये है।

अभियुक्तों से बरामद एक एटीएम कार्ड व एक पैन कार्ड के सम्बन्ध में थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0 444/2025 धारा 303(2)/318(4)/317(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त वांछित चल रहे थे।

⇓ अपराध करने का तरीका--

1. गैंग के सदस्य भीड़भाड़ वाली एटीएम मशीन को टारगेट करते है और रैकी करते है।
2. गैंग का एक सदस्य एटीएम कार्ड यूजर/प्रयोग करने के लिए आए व्यक्ति के साथ एटीएम मशीन में प्रवेश करता है व दूसरा व्यक्ति एटीएम मशीन के बाहर गेट पर खडे होकर निगरानी करता है और अन्य किसी को अन्दर नहीं जाने देता।
3. यह लोग पहले से एटीएम के कैश की निकासी द्वार पर काला टेप लगाकर रखते है।
4. जब एटीएम यूजर पिन डालता है, तो एटीएम के अन्दर वाला सदस्य चोरी छुपे उसका पिन देख लेता है।
5. जब एटीएम में टेप लगी होने के कारण पैसे नहीं निकलते तो अभियुक्त मदद करने के बहाने से हाथ की सफाई से एटीएम कार्ड बदल लेते है।
6. गलत एटीएम कार्ड जब नहीं चलता तो यूजर चला जाता है जिसके बाद यह टेप हटाकर पैसे निकाल लेते है।
7. यह लोग एटीएम कार्ड की लिमिट समाप्त होने तक कैश निकालते है, कैश निकालने की सीमा समाप्त होने के उपरान्त दुकानों पर जाकर एटीएम कार्ड के माध्यम से शॉपिंग करते है।

⇓ अभियुक्तों का विवरण--

1. पंकज कुमार पुत्र उमेश सिंह निवासी ग्राम बड़गाँव, थाना फतेहपुर, जनपद गया, बिहार वर्तमान पता ग्राम नया गाँव, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 41 वर्ष शिक्षा-5वी।
2. धर्मेन्द्र पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम पटरी, थाना फतेहपुर, जिला गया, बिहार वर्तमान पताग्राम नया गाँव, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष शिक्षा-7वी।
3. नवलेश सिंह पुत्र उचित सिंह निवासी ग्राम रतौल, थाना रोह, जनपद नवादा, बिहार वर्तमान पता नया गाँव, थाना-फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 39 वर्ष शिक्षा-10वी।
4. गोपाल पुत्र अनुग्रह सिंह निवासी ग्राम गडहुआ थाना वर्सली गंज जिला नवादा, बिहार वर्तमान पता नया गाँव, थाना-फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष शिक्षा-12वी।

⇓ बरामदगी का विवरण--

1. 04 अवैध चाकू
2. 67 एटीएम कार्ड
3. 01 मोबाइल फोन
4. 2840 रुपये (जो वादी के एटीएम कार्ड से निकाले गये है)
5. 01 पैन कार्ड (वादी का)
6. 15 कपडे (जो वादी के एटीएम कार्ड से खरीदे गये है।)
7. 03 बिल (जो उपरोक्त कपड़ो के बिल है।)

⇓ आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 444/2025 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 318(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना फेस-3 नोएडा।
2. मु0अ0सं0 446/25 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3, नोएडा।

2. थाना सूरजपुर पुलिस व एंटी नॉरकोटिक्स टीम द्वारा गांजा तस्करी करने वाली 04 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 470 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.10.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस व एंटी नॉरकोटिक्स टीम** द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए गांजा तस्करी करने वाली 04 अभियुक्ता 1.इन्द्रा देवी पत्नी सतपाल 2.गीता पत्नी प्रकाश 3.उर्मिला उर्फ लालमुखी पत्नी शेर सिंह 4.मीना पत्नी सुनील को ईटा-1 की सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्ता इन्द्रा देवी के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, अभियुक्ता गीता के कब्जे से 01 किलो 110 ग्राम अवैध गांजा, अभियुक्ता उर्मिला उर्फ लालमुखी के कब्जे से 01 किलो 130 ग्राम अवैध गांजा व अभियुक्ता मीना के कब्जे से 01 किलो 130 ग्राम गांजा (कुल 4 किलो 470 ग्राम) बरामद किया गया है।

अभियुक्ताओं का विवरण--

1. इन्द्रा देवी पत्नी सतपाल निवासी ग्राम गंगागढ़, थाना पहासू जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम एच्छर, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर उम्र-30 वर्ष।
2. गीता पत्नी प्रकाश निवासी बढा मीरपुर, थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता कस्बा कासना, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर उग्र 35 वर्ष।
3. उर्मिला उर्फ लालमुखी पत्नी शेर सिंह निवासी ग्राम रुपा नंगला, थाना खैर, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता बल्ला मढ़ईया, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर उग्र 35 वर्ष।
4. मीना पत्नी सुनील निवासी ग्राम हीरापुर टांडा, थाना कोतबाली देहात, जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम नट मढ़ईया, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ **अभियुक्ता इन्द्रा देवी**

1. मु0अ0सं0 445/2018 धारा 60/63/72 आब0अधि0 थाना नालेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 463/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 603/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्ता गीता**

1. मु0अ0सं0 372/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 603/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्ता उर्मिला उर्फ लालमुखी**

1. मु0अ0सं0-372/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 603/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्ता मीना**

1- मु0अ0सं0 574/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0 144/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

3- मु0अ0सं0 222/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4- मु0अ0सं0 603/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण—

कुल 4 किलो 470 ग्राम गांजा।

3. थाना दादरी पुलिस द्वारा अवैध/प्रतिबधित विस्फोटक पदार्थ (पटाखे) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबधिंत पटाखे बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.10.2025** को **थाना दादरी पुलिस** द्वारा अवैध विस्फोटक पदार्थ बेचने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त नदीम पुत्र सलीम को जारचा रोड दुकान से **गिरफ्तार** किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- नदीम पुत्र सलीम निवासी अम्बेडकर भवन के पीछे मौहल्ला गौतमपुरी कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0स0 559/25 धारा 223 बीएनएसएस 5/9(बी) विस्फोटक अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

⇓ **बरामदगी का विवरण--**

75 पैकेट अनार बम्ब,
32 पैकेट 25 शॉट के स्काई शॉट,
08 पैकेट 50 शॉट के स्काई शॉट,
400 पैकेट कलर स्पार्कल्स,
15 पैकेट रॉकेट बम्ब,
04 पैकेट मशरूम बम्ब,
290 पैकेट कार्नेशन ब्लैक सरपेन्टस,
240 पैकेट टॉयगन

4. थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गये 04 बन्डल वायर व एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा **दिनांक 15.10.2025** नालेजपार्क-2 से अभि0 अशोक पुत्र रमेश को मय 01 चाकू व सम्बन्धित मु0अ0सं0 237/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 04 बन्डल वायर सहित **गिरफ्तार** किया गया है। अवैध चाकू बरामदगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 238/2025 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अशोक पुत्र रमेश नि0 निलोनी मिर्जापुर थाना रबूपुरा जिला गौमबुद्धनगर उम्र लगभग 20 वर्ष

⇓ **आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 237/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना नॉलेजपार्क कमि0-गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 238/2025 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नॉलेजपार्क कमि0-गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 110/2022 धारा 302/201/120बी भादवि थाना दनकौर कमि0-गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 326/2018 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 कमि0-गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 327/2025 धारा 25 आयुध अधि0 थाना बीटा-2 कमि0-गौतमबुद्धनगर

⇓ **बरामदगी का विवरण--**

मु0अ0सं0 238/2025 से सम्बन्धित 01 अवैध चाकू व मु0अ0सं0 237/2025 धारा 305/317(20 बीएनएस से सम्बन्धित 04 बन्डल वायर